[2021] 6 एस. सी. आर. 527

मासिमिलानो लैटोर और अन्य

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2012 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.20370)

(I.A.NO.58644/2020)

15 जून, 2021

[इंदिरा बनर्जी और एम. आर. शाह, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 302 , 307 , 427 और 34-संयुक्त

समुद्र के कानून पर राष्ट्रीय सम्मेलन, 1982 (यू. एन. सी. एल. ओ. एस.)

-

अनुलग्नक VII-15.02.2012 पर, भारत में पंजीकृत नाव पर सवार दो मछुआरों को एक गुजरते जहाज (एक इतालवी जहाज) से गोली मार दी गई, जिसके कारण दोनों मछुआरों की मौत हो गई-प्राथमिकी दर्ज की गई-दो इतालवी मरीन-याचिकाकर्ता संख्या। 1 & 2 पकड़े गए थे

विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी-यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि भारत और इटली ने समुद्र के कानून पर 1982 के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन (यू. एन. सी. एल. ओ. एस.) पर हस्ताक्षर किए और उसकी पुष्टि की। यू. एन. सी. एल. ओ. एस.-इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी (आई. टी. एल. ओ. एस.) के अनुलग्नक VII के तहत प्रदान किए गए बाध्यकारी विवाद समाधान तंत्र के संदर्भ में, विचाराधीन घटना से संबंधित विवाद का निपटारा करने के लिए इटली और भारत दोनों को सभी अदालती कार्यवाही को निलंबित करने और उसी के लिए दोनों पक्षों के समझौते को दर्ज करने की आवश्यकता थी। इसके बाद, अनुलग्नक VII मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिनांकित 21.05.2020 पुरस्कार दिया गया-कि पुरस्कार के तहत, इटली गणराज्य ने इटली द्वारा कुल मुआवजे के रूप में भुगतान की जाने वाली Rs.10 करोड़ की राशि पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें इटली द्वारा पीड़ितों के परिवारों को पहले से ही 21.7 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

सरकार ने प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 4 करोड़ रुपये और नाव के मालिक को 2 करोड़ रुपये वितरित करने का प्रस्ताव रखा है-प्रत्येक मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी और नाव के मालिक ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है और मुआवजे की राशि स्वीकार करने के लिए लिखित रूप में सहमति व्यक्त की है-इन विकास के आलोक में, यह प्रार्थना की जाती है कि

इन कार्यवाहियों का निपटारा करें और अनुच्छेद के तहत आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करें। 142 संविधान का-आयोजितः इटली गणराज्य, भारत संघ, केरल राज्य और मृतक मछुआरों के उत्तराधिकारी और

नावनि बिगुमाया आरबिट्रेल ट्रिब्युनलनि अक्ट '21.05.2020 नि बान्थाखौ नाजावनो राजि जादों-बे बाथ्राखौ नोजोर होनानैबोदि UNCLOS नि एनेक्स VII नि सिङाव दाथाइजानाय आरबिट्रेल ट्रिब्युनला गावनि गनायथिखौ होदोंमोन।

पुरस्कार दिनांक 21.05.2020 जिसके तहत इटली गणराज्य ने

रुपये का मुआवजा देने के लिए सहमत हुए। 10 पहले से ही भुगतान की गई अनुग्रह राशि के अलावा और यह कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने इटली गणराज्य की प्रतिबद्धता को भी विधिवत दर्ज किया है कि

पुरस्कार के बाद इटली 15.02.2012 की घटना में अपनी आपराधिक जांच फिर से शुरू करेगा-मुआवजे की राशि पहले से ही मुआवजे की अनुग्रह राशि के अलावा

मृतक मछुआरों के उत्तराधिकारी संतोषजनक हैं-यह एक उपयुक्त मामला है

अनुच्छेद के तहत शक्तियों के प्रयोग में आपराधिक कार्यवाही सहित भारत में सभी कार्यवाहियों को बंद कर दें। 142 संविधान-इस प्रकार, पंजीकृत एफ. आई. आर. को रद्द कर दिया जाता है और संविधान के समक्ष सभी लंबित मामलों को रद्द कर दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय का निपटारा किया जाता है-इसके अलावा, भारत संघ, इटली गणराज्य और केरल राज्य को दिनांक 1 की घटना से संबंधित उस जांच को आगे बढ़ाने में एक-दूसरे का सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश याचिका

(सिविल) 2012 का No.20370

डब्ल्यू. पी. में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 29.05.2012 के निर्णय और आदेश से। (ग) 2012 का No.4542। सुहैल दत्त, वरिष्ठ अधिवक्ता। , दिलजीत टाइटस, जगजीत सिंह छाबड़ा, उज्जवल शर्मा, बलजीत सिंह कल्हा, निनाद लाउड, अक्षत भटनागर, सुश्री अनन्या मजूमदार, सक्षम माहेश्वरी, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., अमन लेखी, ए. एस. जी., एस. ए. हसीब, सुहासिनी सेन, रजत नायर, बी. वी. बलराम दास, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., सुश्री.

प्रियंका प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश, सी. उन्नीकृष्णन, ए. कार्तिक, सुश्री स्मृति सुरेश, सुश्री श्रीप्रिया के., अर्श खान, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. 15.02.2012 पर हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, दो मछुआरे जो नाव "सेंट एंटनी" पर सवार थे, भारत में पंजीकृत थे, मासिमिलानो लैटोर बनाम।

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

केरल के तट पर मछली पकड़ने के दौरान 44 वर्षीय वैलेनटाइन @जेलेस्टाइन और 20 वर्षीय अजीश पिंक को एक गुजरते जहाज (एक इतालवी पोत एम. वी. एनरिका लेक्सी) से गोली मार दी गई, जिसके कारण उपरोक्त दो मछुआरों की मौत हो गई। 2012 की अपराध संख्या 2 होने के कारण याचिकाकर्ता संख्या के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई। 1 & 2 आई. पी. सी. की धारा 302 और आई. पी. सी. के तहत अन्य अपराधों के तहत दंडनीय अपराध के लिए। कि उपरोक्त जहाज जो इटली में पंजीकृत था, कथित तौर पर सिंगापुर से मिस्र जा रहा था। कि जाँच के दौरान दो इतालवी मरीन-याचिकाकर्ता संख्या। 1 & 2 इनमें उन लोगों की पहचान की गई जिन्होंने मछली पकड़ने वाली नाव पर गोली चलाई थी। याचिकाकर्ता सं। 1 & 2 पुलिस ने पकड़ा और पेश किया विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोल्लम के समक्ष। याचिकाकर्ता सं। 1 & 2 केरल राज्य और सर्कल के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी

पुलिस निरीक्षक, कोल्लम, जिला केरल प्राथमिकी दर्ज करने के लिए, जांच करने के लिए या इतालवी समुद्री नौसेना के अधिकारियों को गिरफ्तार करने और पेश करने के लिए

एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष 2012 की रिट याचिका संख्या 4542 दायर करके मजिस्ट्रेट के समक्ष। कि याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2012 की रिट याचिका संख्या 135 दायर की, जिसमें प्रतिवादी को निर्देश देने की मांग की गई। 1 याचिकाकर्ता के हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी कदम उठाना। 1 & 2 इसमें-इतालवी सैन्य नौसेना के अधिकारी और याचिकाकर्ता नं. 3 यहाँ। उस याचिकाकर्ता नं। 3 इटली गणराज्य ने अप्रैल, 2012 के महीने में मृतक व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजे का अनुग्रह राशि का भुगतान किया। इस न्यायालय ने एस. एल. पी. में भी एक आदेश पारित किया। (सिविल) 2012 का सं. 11942 दिनांक 2.5.2012 सभी 24 चालक दल के सदस्यों के साथ कुछ नियमों और शर्तों के अधीन जहाज को दूर जाने की अनुमति देता है। 9.5.2012 दिनांकित आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 32 रिट याचिका में एक आदेश पारित किया जिसमें केरल राज्य को इटली गणराज्य के प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया गया था

याचिकाकर्ता संख्या के स्थानांतरण के संबंध में। 1 & 2 नौसेना के सैन्य अधिकारी

किसी सुरक्षित घर में। इसके बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। 1 & 2 भारतीय दंड संहिता की धारा 302,307,427,34 और गैरकानूनी गतिविधियों के दमन अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए। विद्वान मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट ने इस मामले को कोल्लम के विद्वत सत्र न्यायालय को सौंप दिया। इसके बाद, दिनांक 1 के विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने केरल राज्य और कोल्लम में संबंधित सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस द्वारा अधिकार क्षेत्र की धारणा को बरकरार रखते हुए, 2012 की रिट याचिका संख्या 4542 को खारिज कर दिया।

2. एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय द्वारा [2021] 6 एस. सी. आर. को खारिज करने में दिए गए विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2012 की रिट याचिका संख्या 4542, आरोप पत्र में अभियुक्त-इतालवी समुद्री अधिकारियों और इटली गणराज्य ने वर्तमान को प्राथमिकता दी है।

विशेष अवकाश याचिका। 3. यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि भारत और इटली ने भारत के कानून पर 1982 के संयुक्त राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए और उसकी पुष्टि की।

सी (यू. एन. सी. एल. ओ. एस.) ने यू. एन. सी. एल. ओ. एस. के अनुलग्नक VII के तहत प्रदान किए गए बाध्यकारी विवाद समाधान तंत्र के संदर्भ में, विचाराधीन घटना से संबंधित विवाद को निपटाने पर सहमति व्यक्त की।

समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित 24 अगस्त 2015 के अनंतिम उपाय आदेश के परिणामस्वरूप

(आई. टी. एल. ओ. एस.) जिसमें इटली और भारत दोनों को सभी अदालती कार्यवाही को निलंबित करने की आवश्यकता होती है, इस न्यायालय ने अपने दिनांकित 26.08.2015 के आदेश द्वारा, जैसा कि दिनांकित 2.9.2015 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया है, दोनों पक्षों के समझौते को दर्ज करते हुए, लंबित मामलों में सभी कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। अपने दिनांक 6.3.2017 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित किए गए निर्णय की अपेक्षा की।

यू. एन. सी. एल. ओ. एस. के अनुलग्नक VII के तहत गठित इस न्यायालय के अभिलेख पर रखा जाए। कि इसके बाद अनुलग्नक VII मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपना दिनांकित 21.05.2020 का निर्णय दिया है, महत्वपूर्ण रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपने दिनांकित 21.05.2020 के निर्णय में इटली गणराज्य की प्रतिबद्धता को विधिवत दर्ज किया है कि पुरस्कार के बाद, इटली 15.02.2012 की घटनाओं में अपनी आपराधिक जांच फिर से शुरू करेगा और यह कि भारत और इटली दोनों इसके साथ सहयोग करेंगे।

उस जाँच के अनुसरण में एक-दूसरे। पुरस्कार के तहत, इटली गणराज्य ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय द्वारा पहचाने गए क्षतिपूर्ति योग्य नुकसान के सभी चार शीर्षों के तहत कुल मुआवजे के रूप में इटली द्वारा भुगतान की जाने वाली आई. एन. आर. 100,000,000 (आई. एन. आर. 10 करोड़) की राशि पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें इटली द्वारा पीड़ितों के परिवारों को पहले से ही भुगतान की गई आई. एन. आर. 21.7 करोड़ की राशि शामिल नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यवाही के दौरान, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने वीडियो इसका नोट वर्बल नं. डब्ल्यू. आई. (ए)/415/06/2012 दिनांक 26.11.2020 ने 1982 के यू. एन. सी. एल. ओ. एस. के अनुलग्नक VII के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण के दिनांक 21.05.2020 के निर्णय के कार्यान्वयन पर जोर दिया।

विचाराधीन घटना।

4. भारत संघ ने 2020 का आई. ए. सं. 58644 दाखिल किया है ताकि दिनांकित आई. डी. 1 के अनुरूप कार्यवाही के निपटारे के लिए उचित निर्देश दिया जा सके। उपरोक्त आवेदन के लिए आया 9.4.2021 पर इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई। इटली गणराज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने

प्रस्तुत किया कि दिनांकित 21.05.2020 पुरस्कार के संदर्भ में देय मुआवजे की राशि मैसिमिलानो लैटोर बनाम द्वारा जमा की जाएगी।

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

विदेश मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले विशेष खाते में भारत संघ के साथ इटली गणराज्य। इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि

भारत संघ द्वारा राशि प्राप्त होने के बाद, इसे एक सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय में जमा किया जाएगा। यह बताया गया है कि इसके बाद इटली गणराज्य ने भारत गणराज्य के पास Rs.10,00,00,000/- (केवल दस करोड़ रुपये) की राशि जमा की। यह बताया गया है कि इसके बाद भारत संघ ने रुपये की राशि हस्तांतरित की है। 10,00,00,000 / - (इस न्यायालय की रजिस्ट्री के बैंक खाते में केवल दस करोड़ रुपये)। कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, मृतक मछुआरों के उत्तराधिकारियों को भी वर्तमान में शामिल किया गया है

कार्यवाही। केरल सरकार ने भारत के विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव को संबोधित पत्र को भी रिकॉर्ड में रखा है कि केरल सरकार ने विदेश मंत्रालय से परामर्श किया है।

एनरिका लेक्सी घटना के आश्रितों/पीड़ितों ने संबंधित जिला कलेक्टरों के माध्यम से सूचित किया कि इतालवी सरकार ने

रुपये के मुआवजे की पेशकश की। जिसमें से दस करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वितरित करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक मृतक के आश्रितों को चार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। नाव के मालिक सेंट एंटनी को दो करोड़। उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि प्रत्येक मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी और नाव के मालिक ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है और उन्हें दिए गए मुआवजे की राशि को स्वीकार करने के लिए लिखित रूप में सहमति व्यक्त की है। उपरोक्त के आलोक में, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान कार्यवाही का निपटारा किया जाए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाए।

5. हमने श्री तुषार मेहता, भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल, श्री सोहेल दत्ता, की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है।

इटली गणराज्य और याचिकाकर्ता, श्री के. एन. बालागोपाल, केरल राज्य की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील और मृतक के उत्तराधिकारियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, श्री उन्नीकृष्णन।

5.1 संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने बार में कहा है कि उनके संबंधित ग्राहक-इटली गणराज्य, भारत संघ, केरल राज्य और मृतक मछुआरों के उत्तराधिकारी और नाव के मालिक ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के दिनांकित 21.05.2020 पुरस्कार को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। उन सभी ने प्रार्थना की है कि वर्तमान कार्यवाही का निपटारा किया जाए और पीड़ितों और मृतक के उत्तराधिकारियों के व्यापक हित में आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाए, विशेष रूप से जब लंबे समय से चले आ रहे विवाद का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जा रहा हो।

21] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनकर

संबंधित पक्षों और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण

यू. एन. सी. एल. ओ. एस. के अनुलग्नक VII के तहत गठित ने अपना पुरस्कार दिनांक 21.05.2020 दिया है जिसके तहत इटली गणराज्य भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है।

रुपये का मुआवजा। दस करोड़, पहले से ही भुगतान की गई अनुग्रह राशि के अलावा और यह कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने इटली गणराज्य की प्रतिबद्धता को भी विधिवत दर्ज किया है कि पुरस्कार के बाद इटली 15.02.2012 की घटना में अपनी आपराधिक जांच फिर से शुरू करेगा और अब इटली गणराज्य ने रुपये की राशि जमा कर दी है। भारत संघ के साथ दस करोड़ रुपये और उसके बाद भारत संघ ने उक्त राशि को इस न्यायालय और केरल राज्य की रजिस्ट्री के साथ-साथ मृत मछुआरों के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया है और यहां तक कि क्षतिग्रस्त हुई नाव का मालिक भी पुरस्कार स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है और यहां तक कि भारत संघ ने भी यू. एन. सी. एल. ओ. एस. के अनुलग्नक VII के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 1 करोड़ रुपये के पुरस्कार को स्वीकार कर लिया है और जब लंबे समय से चली आ रही कार्यवाही समाप्त हो रही है और हम संतुष्ट हैं कि मुआवजे की राशि 2 करोड़ रुपये है। मृत मछुआरों के उत्तराधिकारियों को पहले से ही भुगतान की गई मुआवजे की राशि के अलावा दस करोड़ रुपये इटली गणराज्य द्वारा प्रस्तुत और जमा किए गए, जो मध्यस्थ द्वारा पारित दिनांक 21.05.2020 के पुरस्कार के अनुसार जमा किए गए थे।

न्यायाधिकरण को मुआवजे की उचित राशि कहा जा सकता है और यह मृतक के उत्तराधिकारियों के हित में कहा जा सकता है, हमारा विचार है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही सहित भारत में सभी कार्यवाही को बंद करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

हालांकि, एक ही समय में, राशि का वितरण करते हुए

मृतक मछुआरों के उत्तराधिकारियों को मुआवजा, अर्थात, रु। प्रत्येक मृतक के आश्रितों/उत्तराधिकारियों को चार करोड़ रुपये, उनके ब्याज की भी रक्षा की जानी चाहिए ताकि उन्हें दिए गए मुआवजे की राशि को कुछ समय के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में एक निश्चित जमा में प्रत्येक मृतक के आश्रितों/उत्तराधिकारियों के नाम पर निवेश करके नष्ट न किया जाए और उन्हें उस पर उपार्जित आवधिक ब्याज का भुगतान किया जाए।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हम निम्नलिखित निर्देश देकर वर्तमान कार्यवाही का निपटान/समापन करते हैं:

(अ)

एफ. आई. आर. सं. 2/2012 तटीय पुलिस चौकी, नीन्दकारा, कोल्लम, केरल एफ. आई. आर. सं. के रूप में पुनः पंजीकृत। आर. सी. सं. 04/2013/एन. आई. ए./डी. एल. आई.

दिनांक 4 अप्रैल 2013, धारा एल. ए. एन. ओ. एल. ए. टी. ओ. आर. वी. के साथ पठित धारा 302,307,427 के तहत।

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

34 भारतीय दंड संहिता, 1860 और राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत समुद्री नौवहन और महाद्वीपीय शेल्फ अधिनियम, 2002 पर निश्चित मंचों की सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी अधिनियमों के दमन की धारा 3 और उससे उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाही, जिसमें एल. डी. के समक्ष लंबित कार्यवाही भी शामिल है। विशेष नामित न्यायालय, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली

मुख्य मास्टर सार्जेंट मासिमिलियानो लातोरे और सार्जेंट मेजर साल्वाटोर गिरोने के साथ-साथ श्री विशाल तलवार और श्री विकास तलवार, जो जमानतदार के रूप में खड़े थे, ने एल. डी. के समक्ष उपरोक्त एफ. आई. आर. के संबंध में 2 जून 2012 को जमानत-बांड निष्पादित किए। विशेष नामित न्यायालय, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली और एल. डी. इस न्यायालय के महापंजीयक को इसके द्वारा छुट्टी दे दी जाती है;

एल. डी. इस न्यायालय के महापंजीयक 11 जून 2018 को Nos.0071IGFIN000618 और 0071IGFIN000418 वाली मूल बैंक गारंटी जारी करेंगे।

यूको बैंक, कोल्लम शाखा द्वारा जारी किए गए दो-दो करोड़ रुपये, विस्तार पत्र संख्या के माध्यम से दिए गए। यूसीओ / कोल्लम/बीजी/02/2020-21 और यूसीओ/कोल्लम/बीजी/01/2020-21 दिनांक 28 मई 2020, दो प्रतिभूतियों, श्री विकास तलवार और श्री विशाल तलवार की ओर से दिया गया;

इस माननीय न्यायालय के समक्ष सभी लंबित मामले जिनमें (1) 2012 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 20370, (2) 2014 की रिट याचिका (सी) संख्या 236, (3) 2014 की रिट याचिका (सी) संख्या 919 और उक्त कार्यवाहियों में सभी लंबित आई. ए. शामिल हैं

लागत के रूप में बिना किसी आदेश के निपटाया गया।

इटली गणराज्य, भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल और केरल राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, अब इटली गणराज्य, 15.02.2012 की घटनाओं में अपनी आपराधिक जांच फिर से शुरू करेगा और यह आगे निर्देश दिया जाता है कि भारत संघ, इटली गणराज्य और केरल राज्य उस जाँच को आगे बढ़ाने में एक-दूसरे का सहयोग करें।

केरल, जिसमें से प्रत्येक मृतक के उत्तराधिकारी को चार करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। नाव के मालिक सेंट एंटनी को दो करोड़ का भुगतान किया जाए। हम केरल उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं प्रत्येक मृतक के उत्तराधिकारियों को भुगतान की जाने वाली राशि (प्रत्येक को चार करोड़ रुपये) के संवितरण/निवेश का उचित आदेश पारित करने के लिए एक न्यायाधीश को नामित करना ताकि उत्तराधिकारियों के हितों की रक्षा की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुआवजे को उत्तराधिकारियों द्वारा विधिवत प्राप्त किया गया है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

दुरुपयोग किया गया। प्रत्येक मृतक के उत्तराधिकारियों को सुनने के बाद संवितरण/निवेश का आदेश पारित किया जाए और प्रत्येक मृतक के उत्तराधिकारियों के सर्वोत्तम हित की रक्षा करते हुए उचित आदेश पारित किया जाए। शेष राशि रु। नाव के मालिक सेंट एंटनी को खाताधारक चेक द्वारा दो करोड़ रुपये का भुगतान किया जाए।

अंकित ज्ञान

कार्यवाही का निपटान निर्देशों के साथ किया जाता है।